उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड

(उ0 प्र0 सरकार का उपक्रम)

U.P. POWER CORPORATION LIMITED

(Govt. of Uttar Pradesh Undertaking)

14, अशोक मार्ग, शक्ति भवन, लखनऊ–226001.

CIN:U32201UP1999SGC024928.

संख्या–1512–अधि0प्रब0–03/पाकालि/2019–3(321)ई0एम0–03/2014 दिनांकः 28 सितम्बर, 2019

लेखाधिकारी (पेंशन)
उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0,
शक्ति भवन विस्तार,
लखनऊ।

विषय : श्री परशुराम जी ठाकुर (अभिज्ञान संख्या–2014321), सेवानिवृत्त (दिनांक 31.07.2017) सहायक अभियन्ता को पेंशन व ग्रेच्युटी अधिकृत किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

श्री परशुराम जी ठाकुर (अभिज्ञान संख्या–2014321, वरि0क0–8568), सहायक अभियन्ता, जो दिनांक 31.07.2017 को सेवानिवृत्त हो चुके हैं, को उप सचिव (05बी) के पत्र संख्या–477–डी0पी0 एण्ड ए0 (05बी)/पाकालि/2017 दिनांक 01.06.2017 द्वारा श्री ठाकुर के विरूद्ध वि0वि0खं0–1, गाजीपुर में वर्ष–2007 से 2010 तक की अवधि में निर्गत/उपयोग की गयी सामग्री की विशेष सम्प्रेक्षा में पायी गयी अनियमितताओं हेतु प्रकरण नियमित अनुशासनिक कार्यवाही की प्रक्रिया सम्पादित किये जाने हेतु जांच समिति को संदर्भित किये जाने के कारण कारपोरेशन के पत्र संख्या–2660– अधि0प्रब0–03/पाकालि/2017–3(321)ई0एम0–03/2014, दिनांक 27.09.2017 द्वारा अनन्तिम (Provisional) पेंशन अधिकृत की गयी थी।

जांच समिति से प्राप्त जांचाख्या के परीक्षणोपरान्त कारपोरेशन के आदेश संख्या–1350–डी0पी0 एण्ड ए0(05बी)/पाकालि/2019–427का/12 दिनांक 30.08.2019 द्वारा श्री परशुराम जी ठाकुर (8568), तत्कालीन अवर अभियन्ता, सम्प्रति उपखण्ड अधिकारी (सेवानिवृत्ति) के विरुद्ध प्रचलित प्रकरण उनकी सेवानिवृत्ति के दृष्टिगत समाप्त किया जा चुका है।

अतः मुझे आपसे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री परशुराम जी ठाकुर (अभिज्ञान संख्या–2014321), सेवानिवृत्त सहायक अभियन्ता को यथानियम अनुमन्य पेंशन/ग्रेच्युटी अधिकृत करने में अब कोई प्रशासनिक आपत्ति नहीं है, तथापि इन लाभों को अधिकृत करते समय अवशेष देयों, यदि कोई हों, का समायोजन सुनिश्चित कर लिया जाये। साथ ही यह भी सुनिश्चित कर लिया जाये, कि विभागीय आवास यदि आवंटित रहा हो, जो खाली कर दिया गया हो तथा इन पर कोई रेन्ट/पैनल रेन्ट आदि बकाया न हो।

श्री परशुराम जी ठाकुर, अवर अभियन्ता (वरिष्ठता क्रमांक–8568) से प्रोन्नत सहायक अभियन्ता हैं, इस कारण इनके अवर अभियन्ता काल से सम्बन्धित देयों, यदि कोई हों, का समायोजन भी सुनिश्चित कर लिया जाये।

—2

कृपया कृत कार्यवाही से कारपोरेशन मुख्यालय को भी अवगत कराना सुनिश्चित करें।

भवदीय,

(हिमांशु वार्ष्णेय)
उप सचिव (अ0प्र0-03)

संख्या-1512(।)-अधि0प्रब0-03/पाकालि/2019 तद्दिनांक:

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

पंजीकृत 1- प्रबन्ध निदेशक, पूर्वान्चल विद्युत वितरण निगम लि0, पूर्वान्चल विद्युत भवन, पोस्ट-डी0एल0डब्ल्यू0, विद्युत नगर, वाराणसी-221004.

2- अपर सचिव (तृतीय), उ0प्र0पा0का0लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।

पंजीकृत 3- अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-तृतीय, घोसी, पूर्वांचल वि0वि0नि0लि0, जनपद-मऊ।

4- लेखाधिकारी (वेतन एवं लेखा), उ0प्र0पा0का0लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।

पंजीकृत 5- श्री परशुराम जी ठाकुर (2014321), सेवानिवृत्त सहायक अभियन्ता, ग्राम-काशीपुर, पोस्ट-बलिया, जिला-बलिया (मोबाइल नं0-7565814340) को इस आशय से प्रेषित कि कृपया अपनी पेंशन/ग्रेच्युटी सहित अन्य सेवानैवृत्तिक देयों, यदि कोई हों, के सम्बन्ध में वांछित प्रपत्र सम्बन्धित खण्ड/इकाई को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

6- अधिशासी अभियन्ता (वेब0), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।

7- कट फाइल।

(हिमांशु वार्ष्णेय)
उप सचिव (अ0प्र0-03)